# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः– 05**/2015 (75 एल. आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2015/00010

उनवान

लाखन सिंह पुत्र जंगी जाति जाटव निवासी ग्राम गढी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.02.2013 प्रकरण संख्या 17/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास उनवानी लाखन सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित ।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गढी बाबत् स्वयं के गैर खातेदारी इन्द्राज से खातेदारी दिये जाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के पिता संवत 2010 से पूर्व से गैर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौरूसी खातेदार दर्ज थे तथा संवत 2012 में ही कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये। परन्तु भूमि में खातेदारी देने के बजाय गैर कानूनी तरीके से उसे कस्टोडियन दर्ज करते हुए अपीलाण्ट को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट को विरासत से विवादित आराजी पर गैर खातेदारी दर्ज किया गया है, जो पिछले 65 साल से गैर खातेदार दर्ज होते हुए चला आ रहा है। जबकि अपीलाण्ट को बहुत पहले विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुए, अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट विवादित भूमि में 1/5 हिस्से का हिस्सेदार है तथा मौके पर उसका अलग से कब्जा काश्त है अन्य सहखातेदार अमरचंद को गैर खातेदारी से खातेदारी उसके 1/5 हिस्से पर दी जा चुकी है। अतः एक सहखातेदार को उसके हिस्से 1/5 पर खातेदारी दिये जाने के पश्चात् अपीलाण्ट को भी खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिये थे। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अपीलाण्ट खातेदारी प्राप्त करने के सभी मापदंडो का पालन करता आया है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है एवं ऐसी भूमि पर किसी को, कोई खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा मुख्य रूप से विवादित आराजी में स्वयं के गैर खातेदारी इन्द्राज के स्थान पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण दावा खारिज किया है। परन्तु विवादित समस्त भूमि रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाण्ट विवादित भूमि पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। शास्वत रूप से कोई भी लम्बे समय तक गैर खातेदार दर्ज नही रह सकता है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट व उनके पूर्वज संवत 2014 से ताहाल तक गैर खातेदारी इन्द्राज रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत् कोई परीक्षण नही किया जाकर मात्र तहसीलदार रूपवास की राय के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें स्वयं के न्यायिक विवेक का कतई प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश सकारण व विवेचनात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त यहॉ हम तहसीलदार, रूपवास को लापरवाह व कर्त्तव्य के प्रति उदासीन पाते हैं, जो प्रार्थी/अपीलाण्ट के गैर खातेदारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन्द्राज समाप्त करने के लिए समय रहते राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत रैफरेन्स आदि की कार्यवाही की कोई चेष्टा नही की है। प्रार्थी/अपीलाण्ट अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज रहे हैं। इन्हें समय के साथ या तो खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे अथवा गैर खातेदारी इन्द्राज समाप्त करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। उपरोक्त विवेचन अनुसार, भूमि चूंकि शास्वत रूप से गैर खातेदारी में दर्ज रहना उचित नही है। अतः हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 26.02.2013 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः सकारण, विवेचनात्मक निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official